न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या 130/2016 एल.आर.एक्ट

बुधराम पुत्र श्री भैराराम नायक निवासी 3 आरटीएम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. बूटासिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जटसिख निवासी 64 जीबी (फौत)
   1/1 गुरमीत कौर पुत्री बूटासिंह नाबालिगजरिये कुदरती वली संरक्षक दादी चरण कौर ।
2. चरणकौर पत्नी मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी 64 जीबी
3. कश्मीरसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी 64 जीबी
4. मनजीतसिंह पुत्र दीदारसिंह जाति जटसिख निवासी 64 जीबी
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ ।

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री महावीर शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री विजयकुमार अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 4

निर्णय

दिनांक 4.12.2019

1. यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के आदेश दिनांक 16.6.2016, जिसके द्वारा प्रार्थी बुधराम पुत्र भैराराम जाति नायक निवासी चक 3आरटीएम तहसील अनूपगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 8.9.14 अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट खारिज करते हुए रिकॉर्ड दुरुस्त किया गया एवं चक 3आरटीएम के मु0नं0 252/436 का कुल 0.039 हैक्टर कृषि भूमि को कम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार अनूपगढ को दिया गया, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी बुधराम पुत्र भैराराम जाति नायक निवासी चक 3आरटीएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के समक्ष राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 3 आरटीएम का मु0नं0 18 पत्थर सं0 252/436 का कुल 12.10 बीघा रकबा आवंटित होकर खातेदारी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । इसी मुरब्बा का शेष रकबा गंग केनाल में पड़ता है,जिसमें से किला नं0 11,12,20ता 22 कुल 5 बीघा रकबा मांगीलाल पुत्र धूड़ाराम नाई के नाम से दिनांक 29.12.68 को आवंटन हुआ था एवं किला नं. 1 का 10 बिस्वा, 9 का 10 बिस्वा, 13 का 10 बिस्वा, 17 का 10 बिस्व 18–19 का 2 बीघा, 10 का 1 बीघा कुल 5 बीघा कबा मुखत्यारसिंह को आवंटन हुआ था । मांगीलाल ने दिनांक 10.6.71 को खातेदारी मिलने से पूर्व ही उक्त रकबा जरिये मुखत्यारआम हरभजनसिंह द्वारा बीकरसिंह पुत्र लखवीरसिंह व लखवीरसिंह पुत्र बिशनसिंह को विक्रय कर दिया था तथा बीकरसिंह ने दिनांक 16.6.71 को 6 दिन बाद ही उक्ता रकबा मुखत्यारसिंह,दीदारसिंह, दरबारासिंह पि0 धारासिंह को विक्रय कर दिया । मांगीलाल द्वारा खातेदारी मिलने से पूर्व ही रकबा अवैध बेचान होने के कारण उक्ता रकबा मांगीलाल के नाम से खारिज हो गया । जिसका

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नियमन जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण सं0 1152/1993 द्वारा दिनांक 15.6.93 को किया गया । उस समय मुखत्यारसिंह वगैरह ने फर्जी खातेदारी सनद दिनांक 9.1.76 को छुपा लिया था एवं रकबा खरीद होने के तथ्य को छुपा कर फर्जी व कूटरचित खातेदारी सनद सं0 6003 दिनांक 9.1.76 मु0नं0 18 के पत्थर सं0 252/436 के किला नं0 8,11,12, 16, 17, 20 व 21 की कुल 5 बीघा की जारी करवाली, जिसमें प्रार्थी बुधराम को आवंटित रकबा किला नं. 8 का 5 बिस्वा, 16 का 1 बिस्वा, 17 का 6 बिस्वा कुल 0. 12बिस्वा आता है तथा मांगीलाल को आवंटित रकबा किला नं0 21 का 2 बिस्वा, वा 22 का 1 बीघा कुल 1 बीघा 02 बिस्वा रकबा राज दर्ज कर दिया जो सनद में नहीं दर्शाया है। उस पर भी मुखत्यारसिंह वगैरह काबिज है और काश्त कर रहे हैं । प्रार्थना पत्र की मद सं0 4 में दर्ज भूमि जो मुखत्यारसिंह ने गलत रुप से अपने नाम दर्ज करवा लिया, जिसमें किला नं0 9 के 10 बिस्वा,13 का 10 बिस्वा कुल 1बीघा प्रार्थी बुधराम के नाम से आवंटित है । उक्त मुरब्बा का कुल क्षेत्रफल योग 6.944 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जो एक मुरब्बा के क्षेत्रफल से 0.609 हैक्टेयर रकबा अधिक हो जाता है, इस तथ्य को तहसीलदार अनूपगढ ने अपने निर्णय दिनांक 24.2.2014 में माना है, परन्तु उन्होंने स्वयं ने दुरुस्ति नहीं करके सक्षम न्यायालय में दुरुस्ति की कार्यवाही करने का लिखा है । प्रार्थी बुधराम के नाम से किला नं0 13 का 0.127 हैक्टेयर रकबा आवंटन है, परन्तु बाद में कर्मचारियों की गलती के कारण किला नं0 13 के स्थान पर किला नं0 12 का 0.112 रकबा दर्ज कर दिया । जबकि किला नं0 12 का 0.253 हैक्टेयर रकबा मांगीलाल के नाम आवंटन हुआ, जो बाद में मांगीलाल ने विक्रय कर दिया । प्रार्थी हरिजन है, जबकि मुखत्यारसिंह आदि स्वर्ण जाति के व्यक्ति है । प्रार्थी ने तहसीलदर अनूपगढ के समक्ष धारा 183–बी का प्रार्थना पत्र पेश किया था, अतः प्रार्थना पत्र दर्ज अनुसार दुरुस्ति फरमाई जावे ।

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के समक्ष प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 8.9.14 को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जारी की गयी एवं न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनकर आदेश दिनांक 16.6.16 पारित किया गया कि प्रार्थी बुधाराम का प्रार्थना पत्र दिनांक 8.9.14 अन्तर्गत धारा 136 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है व तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि चक 3 आरटीएम का मु0 नं0 252/436 की वर्तमान जमाबन्दी का किला नं0 13 का 0.126 हैक्टर के स्थान पर सहवन से किला नं0 12 के 0.126 हैक्टेयर रिकॉर्ड में अंकित हो गया है, जिसे रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जात है व वादी बुधराम के नाम से किला नं0 13 में 0.026 हैक्टेयर की हद तक दुरुस्त किया जाता है व चक 3 आरटीएम के मु0 नं0 252/436 का किला नं0 1, 2, 8, 9, 13, 14, 17, 16 व 25 की कुल 0.669 हैक्टेयर कृषि भूमि कम करके राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश प्रतिवादी सं05 तहसीलदार अनूपगढ को दिये जाते हैं । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 16.6.16 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंट के निमित सम्मन जारी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर प्राप्त किया गया । अपील में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये धारा 136 के प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ति को डबल आवंटन का मामला मानते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि सन 1956 में राजस्थान केनाल आने से पूर्व आराजी जेर पुराना मुरब्बा 4 नया मु0नं0 18 पत्थरनं0 252/436 का पूरा रकबा चक 64 जीबी गंग केनाल के नीचे आता था और 1956 में राजस्थान केनाल आ जाने के कारण उक्त रकबा की चक बन्दी हुई, जिसके अनुसार मु0 नं0 4 नया 18 पत्थर नं0 252/436 का 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि चक नं0 64 जीबी गंगकेनाल के नीचे आया और 12.10 बीघा भूमि चक 3 आरटीएम राजस्थान केनाल के नीचे आया । अधीनस्थ न्यायालय ने किला नं0 2 से 25 के बीच विभाजन माना है, जो

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गलत है । यह कि चक 64 जीबी के मु0 नं0 18 का पत्थर नं0 252/436 का 5 बीघा रकबा दिनांक 29.10.68 को मांगीलाल पुत्र धूड़ाराम को आवंटित हुआ, जिसमें से किला नम्बर अंकित नहीं किया हआ है, फिर भी मांगीलाल ने उक्त मुरब्बा नं0 18 कि किला नं0 11,12, 20 ता 22 में 5 बीघा का अपना आवंटन मानकर रकबा विक्रय किया है, इसलिए यही रकबा मांगीलाल का आवंटित माना जायेगा । मांगीलाल ने उक्त रकबा को खातेदारी मिलने से पूर्व जरियें मुखत्यार आम हरभजनसिंह ने बीकरसिंह व लखवीरसिंह को विक्रय कर दिया तथा बीकरसिंह ने 6 दिन बाद दिनांक 16.6.71 को मुखत्यारसिंह, दीदारसिंह, दरबारासिंह को विक्रय कर दिया । मांगीलाल को खातेदारी मिलने से पूर्व अवैध बेचान होने के कारण मांगीलाल के नाम से खारिज कर दिया गया। मांगीलाल की खारिज शुदा भूमि चक 64 जीबी के मु0 नं0 11,12, 20, 21, 22 की 5 बीघा भूमि के नियमन बाबत खरीददार मुखत्यारसिंह, दरबारासिंह एवं दीदारसिंह पि0 धारासिंह ने अति. कलेक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रकरण सं0 10/1988 दर्ज हुआ,जिस पर 19.6.92 को उक्त रकबा का नियमन किया गया । उक्त नियमन आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्व अभिलेख में नियमन का अमल दरामद सनद बनने के बाद दर्ज किया जावे ।

6. अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि उक्त भूमि का नियमन आदेश वर्ष 1993 में जारी हुआ है, जिसकी पालना में सनद जारी नहीं हुई है, नं ही अमल दरामद हुआ है । 1976 की सनद में जिस रकबे का विवरण है, वह मांगीलाल को आवंटित ही नहीं था क्यों कि मांगीलाल ने अपना आवंटन चक नं0 64जीबी के मु0नं0 18 के किला नं0 11,12,20,21,22 में होना मानते हुए भूमि की बेचवानी की है और इसी रकबे बाबत खरीददारान मुखत्यारसिंह वगैरह ने नियमन का प्रार्थना पत्र पेश किया । ऐसी स्थिति में डबल आवंटन का मामला न होते हुए उसे डबल आवंटन का मामला मानकर दुरुस्ति का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने में कानूनी भूल की है । यह कि अपीलार्थी बुधराम द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 183 आरटीए के जेरकार होने का उल्लेख करते हुए अपीलान्ट का धारा 136 का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जबकि वाद को इसी दुरुस्ति रिकॉर्ड के प्रकरण में शामिल करके निर्णय किया गया है । इस कारण उसे जेरकार नहीं माना जा सकता है । यह कि अपीलान्ट का डबल आवंटन मानते हुए मण्डल में निगरानी विचाराधीन होने को आधार लेते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है जबकि दरुस्ति रिकॉर्ड का प्रार्थना पत्र मांगीलाल की 1976 को फर्जी खातेदारी सनद होने के आधार पर पेश किया गया है । इसलिए निगरानी एवं दुरुस्ति रिकॉर्ड का प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी की परिधि में नहीं आता है । अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णयमें चक 3 आरटीएम के मु0 नं0 252/436 का किला नं0 1,2, 8, 9, 13, 14, 17, 16, 25 की कुल 0.669 हैक्टेयर कृषि भूमि जो चक 64 जीबी के मु0 नं0 252/436 का रकबा है, जो सहवन से चक 3 आरटीएम के मु0नं0 252/436 में शामिल हो गया है, इसमें से कुछ रकबा प्रार्थी अपीलान्ट के खाता में भी दर्ज हो गया, जिसे धारा 136 एल आर एक्ट के अधीन प्रयोग करते हुए आदेशित किया गया है कि उक्त रकबा चक 3 आरटीएम के मु0नं0 252/436 के रकबा में से कम करें, जो कतई गलत है । क्यों कि यह चक 3 आरटीएम का ही रकबा है, सहवन से दर्ज नहीं हुआ है। बल्कि 1976 की मांगीलाल की सनद को सही मानते हुए मुखत्यारसिंह के नाम से गलत रकबा दर्ज करने की नीयत से ही चक 64 जीबी का रकबा माना है, उसी से इस मुरब्बा का क्षेत्रफल 0.609 हैक्टेयर बढा है। इसलिए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दुरुस्ति स्वीकार योग्य है । यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.16 अपीलान्ट एवं उसके अभिभाषक की गैर हाजरी में पारित किया गया है । अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी 11.8.16 को होने पर दिनांक 12.8.16 को नकल प्राप्त कर इल्म से अन्दर मियाद अपील पेश की गयी है । अतः अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार फरमाई जावे । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में नजीर आरआरडी 2006 पेज 802 व 805, आरआरडी 1984 पेज 154व 156, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1984 पेज 111 अवलोकनीय बताया ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. अभिभाषक रेस्पोन्डेंट ने लिखत बहस प्रस्तुत कर अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष कार्यवाही में उपस्थित होते रहे है तथा निर्णय भी उपस्थिति में दर्ज हुआ है । अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में मियाद बाहर अपील पेश की गयी है । मियाद के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा –5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये हैं । इस कारण यह अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे । यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 के तहत कार्यवाही पेश नहीं की जा सकती थी । धारा 136 एलआर एक्ट की कार्यवाही में दोनों पक्षों की सहमति से ही आदेश पारित किया जा सकता है । यह कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा इसी आधार पर तहसीलदार सूरतगढ एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष चाराजोही की थी, जो दिनांक 21.4.2011 को खारिज की जा चुकी थी एवम् राजस्व मण्डल अजमेर में उनकी निगरानी जेरकार है । बार–2 एक ही मुध्दे पर कार्यवाही पेश की जा रही है तथा निर्णय भी हो चुके हैं । अतः रेसज्युडिकेटा का सिध्दान्त लागू होता है । यह कि सेटलमेंट क्लोज होने के बाद सैक्शन 136 के तहत कार्यवाही पेश नहीं की जा सकती है । अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश के विरुध्द अपील पेश करने की अधिकारिता नहीं है, क्योंकि किला नं0 13 के बाबत अनुतोष दिया जा चुका है । इस कारण अपील मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जावे । अपीलान्ट का सक्षम न्यायालय में दावा भी जेरकार है । अपीलाधीन निर्णय के पेज 2 की लाइन नं0 22 से स्पष्ट है कि अनुतोष दिया जा चुका है तथा निर्णय के पेज सं03 के अन्तिम पैरा में स्पष्ट है कि अपीलान्ट इसी आधार पर पूर्व में निर्णय करवा चुका है तथा उसके विरुध्द निर्णय हुए हैं । निर्णय में अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 21.4.11 के निर्णय का हवाला भी दिया है गया है तथा इसी भूमि बाबत निगरानी सं0 4979/2011 मा. राजस्व मण्डल में जेरकार है । अपीलान्ट द्वारा जो अनुतोष चाहा गया वह पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है । अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से मियाद बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे । सक्षम न्यायालय में इसी मुध्दे पर दावा जेरकार था, जो साक्ष्य लेने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.6.16 को खारिज कर दिया है । अतः अपीलान्ट को दावे में ही चाराजोई करनी चाहिये । अपीलान्ट के अनुसार सनद फर्जी है तो उसे सक्षम न्यायालय में ही चाराजोही करनी चाहिए । अभिभाषक रेस्पोन्डेंट ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1999 पेज 98, आरआरडी 1984 पेज–261 व 844, आरआरडी 1999 पेज 152, आरआरडी 1986 पेज 22, आरआरडी 2016 पेज 394, आरआरडी 1994 पेज 505, धारा 136 एवं सीपीसी धारा 10 अवलोकनीय बताया ।

8. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण में न्यायालय उप जिला कलक्टर, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 16.6.16 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 6.9.2016 को प्रस्तुत की गयी है । निदेशक, भू–अभिलेख के यहां अपील प्रस्तुत करने हेतु 60 दिवस की मियाद निर्धारित है । जिसके अनुसार अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में 23 दिवस का विलम्ब हुआ है । न्यायहित में उक्त विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात एवं रिकॉर्ड का अवलोकन अनुसार निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट होती है :–

I. आवंटन आदेश दिनांक 29.5.76 अनुसार अपीलार्थी बुधराम पुत्र भूराराम नायक सा0 78 जीबी तहसील अनूपगढ के नाम चक 3 आरटीएम के मु0नं0 252/436 के किला नं0 1 में 0.10 बिस्वा, 2 ता 8 में 7.00बीघा, 9 में 0.10 बिस्वा, 13 में 0.10 बिस्वा, 14 ता16 में 3.00बीघा, 17 में 0.10 बिस्वा, 25 में 0.10 बिस्वा कुल 12.10बीघा का स्थाई आवंटन किया गया, जिसकी खातेदारी सनद दिनांक 29.1.97 को जारी हुई है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

II. वर्ष 1956 में उपनिवेशन विभाग अलग होने से सैटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व व उपनिवेशन विभाग के रकबा की अलग–2 चकबन्दी की गयी, जिसके कारण पत्थर नं0 252/436 मु0नं018 के किला नं. 1 के कॉर्नर से कि0नं0 25 के कॉर्नर तक आधार मानकर दो भागों में बराबर–2 बांटा गया । इस प्रकार चक 64 जीबी में कि0नं01 में 0.10 बिस्वा, 9 में 0.10 बिस्वा, 10 से 12 में 3.00बीघा, 13 में 0.10 बिस्वा, 17 में 0.10बिस्वा, 18 से 24 में 7.00 बीघा, 25 में 0.10 बिस्वा कुल 12.10 बीघा इसी प्रकार उपनिवेशन विभाग के चक 3 आरटीएम में शेष रकबा किला नं0 1 में 0.10 बिस्वा, 2 ता 8 में 7.00बीघा, 9 में 0.10 बिस्वा, 13 में 0.10 बिस्वा, 14 ता16 में 3.00बीघा, 17 में 0.10 बिस्वा, 25 में 0.10 बिस्वा कुल 12.10बीघा में चला गया, जो कि अपीलार्थी बुधराम को आवंटित हुआ है ।

III. प्रकरण में अपीलार्थी बुधराम के रिकॉर्ड दुरुस्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 8.9.14 पर न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ द्वारा आदेश दिनांक 16.6.16 द्वारा चक 64 जीबी का रकबा पत्थर नं0252/436 के किला न0 2 से 25 के मध्य सीमा रेखा दर्शायी जाकर निर्णय पारित किया गया है । जबकि अपीलार्थी बुधराम पश्चात वर्ती आवंटन है, जो चक 3 आरटीएम के मु0नं0 252/436 के किला नं0 1 से 25 के मध्य सीमा रेखा को दर्शाया जाकर पुख्ता आवंटन हुआ है ।

IV. प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) में पारित किये गये निर्णय दिनांक 24.2.14 के अनुसार चक 64 जीबी गंगकेनाल के पत्थर नं0 252/436 का 3.832 हैक्टेयर रकबा दर्ज रिकॉर्ड है तथा उपनिवेशन क्षेत्र के चक 3 आरटीएम के पत्थर नम्बर 252/436 का 3.162 हैक्टेयर दर्ज है । उक्त दोनों चकों में पत्थर नम्बर 252/436 का योग 6.994 हैक्टेयर आता है । अर्थात उक्त पत्थर नम्बर का रकबा 0.669 अधिक हो जाता है। चक बन्दी के समय चक 3 आरटीएम का रकबा किलानं01 के कॉर्नर से किला नं0 25 के कॉर्नर तक आधार मान कर जमाबन्दी में दर्ज किया गया तथा इसी पत्थर नम्बर के चक 64 जीबी में किला नं01 की बजाय किला नं0 2 के कॉर्नर से किला नं0 25 के कॉर्नर तक आधार मान कर रिकॉर्ड तैयार किया गया है । इसी किला नं0 के लाईन के बीच का रकबा दोनों चकों में पेश करने पर बढता है तथा दोनों सीमा रेखा के बीच की भूमि को डबल आवंटन होना दर्शाया है, जो उचित नहीं है । क्यों कि अपीलार्थी बुधराम को जो आवंटन हुआ है, वह पश्चात वर्ती आवंटन है, जो उपनिवेशन विभाग द्वारा चक 3 आरटीएम के मु0नं0 252/436 के किला नं0 1 से 25 के मध्य सीमा रेखा को दर्शाया जाकर पुख्ता आवंटन किया गया है ।

V. चक 64 जीबी का मु0नं0 18 पत्थर नं0 252/436 का किला नं0 11,12, 20 ता 22 कुल 5 बीघा रकबा मांगीलाल पुत्र धूड़ाराम नाई को दिनांक 29.12.68 को जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा गंगकेनाल में आवंटन किया गया तथा शेष किला नं0 1 में 0.10 बिस्वा, 9 में 0.10 बिस्वा, 10 का 1.0 बीघा, 13 का 0.10 बिस्वा, 17 का 0.10 बिस्वा, 18–19 का 2.00 बीघा कुल 5.00 बीघा रकबा मुखत्यारसिंह पुत्र धारासिंह को दिनांक 10.6.71 को आवंटन हुआ है । मांगीलाल द्वारा मु0नं0 18 के किला नं. 11, 12, 20 ता 22 कुल 5 बीघा आवंटन मानते हुए भूमि बेचान की गयी है, जो अवैध बेचान होने से रकबा खारिज हुआ, और मुखत्यारसिंह द्वारा इसी रकबे बाबत जिला कलक्टर श्रीगंगानगर में प्रार्थना पत्र बाबत धारा 13ए अन्तर्गत भूमि नियमन करने का प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 15.6.93 को नियमन आदेश पारित कर उक्त आदेश में नोट लगाया गया है कि सनद बनने के पश्चात ही इसका रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे । किन्तु अपीलान्ट के अनुसार उक्त सनद अभी तक जारी नहीं हुई है, तथा पूर्व में जारी सनद वर्ष 1976 को छुपाया गया है, अन्यथा नियमन आदेश ही पारित नहीं होता ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

VI. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने चक 3 आरटीएम के मु0 नं0 252/436 का किला नं0 1 के 0.126 है, किला नं0 2 में 0.101,किला नं0.8 में 0.063 हक्टेयर, किला नं0 9 के 0.127 है. 13 के 0.101 है. 14 के 0.025 है. 17 के 0.71 है. 16 का 0.013 व 25 का 0.039 है. इस प्रकार कुल 0.669 हैक्टेयर भूमि जो चक 64 जीबी के मु0 नं0 252/436 का रकबा है तथा जो चक 3 आरटीएम के मु0नं0 252/436 में शामिल हो गया है तथा कुछ रकबा प्रार्थी अपीलान्ट के खाता में भी दर्ज होगया है, जिसमें धारा 136 एलआर एक्ट के अधीन प्रयोग करते हुए आदेशित किया है कि उक्त रकबा चक 3 आरटीएम के मु0नं0 252/436 में से कम करें, जो उचित आदेश नहीं है । क्योंकि यह चक 3 आरटीएम का ही रकबा है, सहवन से दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि 1976 की मांगीलाल की सनद को सही मानते हुए मुखत्यार सिंह के नाम से चक 64 जीबी का रकबा माना है, उसी से इस मुरब्बा का क्षेत्रफल 0.609 बढा है । इस तथ्य को तहसीलदार अनूपगढ ने अपने निर्णय दिनांक 24.2.14 में माना है ।

VII. प्रकरण में अभिभाषक रेस्पोन्डेंट का बहस में मुख्य रुप से कथन है कि प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी सं0 4979/2011 जेरकार है, अतः अपीलान्ट धारा 10सीपीसी अनुसार एस्टोप्ड है। हम अभिभाषाक रेस्पोन्डेंट के उक्त कथन से सहमत नहीं हैं। क्योंकि अपीलान्ट द्वारा रिकॉर्ड दुरुस्ति का प्रार्थना पत्र मांगीलाल की वर्ष 1976 की फर्जी खातेदारी सनद होने के आधार पर पेश किया गया है । इसलिए राजस्व मण्डल अजमेर में चल रही निगरानी एवं दुरुस्ति रिकॉर्ड का प्रार्थना पत्र धारा 10 की परिधि में नहीं आता है । जहां तक दावा विचाराधीन होने का प्रश्न है, वह रिकॉर्ड दुरुस्ति प्रार्थना पत्र के साथ निर्णीत हो चुका है ।

10. उपरोक्त तथ्यों के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर, अनूपगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.2016 निरस्त किया जाता है । उप जिला कलक्टर, अनूपगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट के धारा 136 के रिकॉर्ड दुरुस्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार रिकॉर्ड में दुरुस्ति की जावे ।
11. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 4.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.12.12 17:45:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: